(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
ममताकंवर पुत्री जीवनदान पत्नी प्रवीणदान देथा जाति चारण, निवासी गूंगा हाल निवासी सावन मगरा, बोरूंदा तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर वगैरा (02)		जीवनदान पुत्र शंकरदान जाति चारण, निवासी गूंगा तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (07)

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन (धारा 212) मुकदमा नम्बर 376/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.08.2025	प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री नरेन्द्रसिंह सियाग द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया है, जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थीगण जरीये नोटिस तलब हो। स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा निवेदन करने पर एकपक्षीय अंतरिम बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 4 की संयुक्त एवं पैतृक खातेदारी का खेत मौजा गूंगा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 1672/141 रकबा 24.4429 हैक्टेयर का आया हुआ है। उक्त विवादित आराजी पूर्व पुरूष प्रार्थीगण के दादा शंकरदान के फौत होने पर उनके पुत्र विप्रार्थी संख्या 1 को विरासत में प्राप्त हुई है। चूंकि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पैतृक सहदायिकी सम्पति में उनके पुत्र, पुत्री, पौत्र, पौत्री, प्रपौत्र का जन्म से अधिकार निहित हो जाता है। उक्त विवादित आराजी में विप्रार्थी संख्या 1 के साथ प्रार्थीगण का भी हक हिस्सा निहित होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। वर्तमान में विप्रार्थी संख्या 1 से 4 द्वारा प्रार्थीगण को उनके पैतृक खातेदारी से वंचित रखने हेतु राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रविष्टियों का सहारा लेकर सम्पूर्ण आराजी का बैचान कर अजनबी क्रेताओं विप्रार्थी संख्या 5 व 6 को कर दिया गया है, जो भूमि को आगे बैचान कर भूमि खुर्द बुर्द करने पर आमादा है, जबकि विप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। विप्रार्थी संख्या 1 से 4 द्वारा अपने हिस्से से अधिक भूमि का विप्रार्थी संख्या 5 व 6 को बैचान किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से शून्य है। साथ ही यदि विप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तथा प्रार्थीगण को उनके पैतृक हक हिस्सा से बलपूर्वक बेदखल किया जाता है तो इससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कीमत पर अदा नहीं की जा सकती। अतः समस्त परिस्थितियों में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्धांत प्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरूद्ध विवादित आराजी का बैचान या हस्तांतरण नहीं करने तथा वर्तमान मौका [illegible] रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा सादिर फ[illegible]। हमने प्रार्थीगण [illegible] पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से [illegible] विवादित आराजी पूर्व पुरूष शंकरदान से उनके पुत्र विप्रार्थी संख्या 1 को पैतृक रूप से प्राप्त [illegible] से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की [illegible] 6 व 8 अनुसार [illegible] पुत्र/पुत्रीयों/पौत्र/पौत्रियों का भी जन्मतः हक हिस्सा निहित होता है। प्रार्थीगण का उक्त विवादित आराजी में हक हिस्सा निहित होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि विप्रार्थीगण द्वारा राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रविष्टियों के आधार पर भूमि का बैचान या	

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.28 11:36:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

हस्तांतरण आदि किया जाता है तो इससे अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण को होने से इंकार नहीं किया जा सकता। साथ ही मौके पर तनाव व विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की आंशका रहेगी तथा प्रार्थीगण के पैतृक खातेदारी अधिकारों पर कुठाराघात होगा। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को आरजी तौर पर स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आरजी/आंशिक तौर पर स्वीकार किया जाकर मौजा गूंगा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 1672/141 रकबा 24.4429 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरूद्ध वर्तमान मौका एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आशय का अस्थाई अंतरिम स्थगन आदेश आगामी तारीख पेशी तक जारी किया जाता है।

पत्रावली वास्ते विप्रार्थीगण के सम्मन/नोटिसों का इन्तजार होकर आइन्दा दिनांक 12.09.2025 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

04.09.25

मूल वाद के प्रार्थी वकील द्वारा त्वरित सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश करने पर पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थी वकील उपस्थित।

चूंकि उक्त आवेदन का मूल वाद प्रार्थी वकील द्वारा जरिये विड्रो खारिज करने करने का प्रार्थना पत्र पेश करने पर जरिये विड्रो खारिज किया जा चुका है अतः मूल वाद के खारिज होने पर उक्त आवेदन का कोई औचित्य एवं महत्व नहीं होने पर उक्त आवेदन भी इसी स्टेज पर जरिये विड्रो खारिज किया जाता है। साथ ही पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई नि[illegible] किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.28 11:56:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव